	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 14, मंगलवार, *शाके* 1945-सितम्बर 05, 2023 *Bhadra 14, Tuesday , Saka 1945- September 05, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 29, 2023

जी.एस.आर.116 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन.- राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 के नियम 10 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''20 वर्ष '' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''21 वर्ष'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.2(8)डीओपी/ए-II/79]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, August 29, 2023

G.S.R.116 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following

rules further to amend the Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975, namely:-

1**. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Technical Training Subordinate Service (Amendment) Rules, 2023. (2) They shall come into force from date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Rule 10.-** In rule 10 of the Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975, for the existing expression "20 years" , the expression "21 years" shall be substituted.

[No. F.2 (8) DOP/A-II/79]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.